



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012021-224499
CG-DL-E-16012021-224499

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942

No. 189]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2021

का.आ. 209(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट Ring Road के किमी 32 किमी से 65 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-103, कल्याणपुर से बेला नवादा (NH-57) पैकेज 3 (कल्याणपुर से ताल दशराहा) तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	भु अर्जन प्रदाधिकारी समस्तीपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Ring Road के कि.मी. 32 से 65 तक	बिहार	समस्तीपुर	समस्तीपुर	<table><tr><td>1</td><td>बिश्नुपुर</td></tr><tr><td>2</td><td>राम किशुनपुर</td></tr></table>	1	बिश्नुपुर	2	राम किशुनपुर
					1	बिश्नुपुर				
2	राम किशुनपुर									

[फा. सं. 33020/Lot-5/Pkg-7/Bharatmala]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2021

S.O. 209(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 32 to Km. 65 of the Ring Road for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of BIHAR

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No 103, Kalyanpur to Bela Nawada (NH-57) Package 3 (Kalyanpur to Tal Dashraha) in the State of BIHAR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Acquisition Officer, Samastipur	32KM To 65KM	BIHAR	SAMASTIPUR		
					Samastipur	1 Bishunpur
						2 Ram Kishunpur

[F. No. 33020/Lot-5/Pkg-7/Bharatmala]

RAJESH GUPTA, Director